(७४)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: [illegible]/13124 जयपुर, दिनांक -5 DEC 2001

जिला कलेक्टर (समस्त)

सचिव,
नगर विकास न्यास, (समस्त)
अजमेर

विषय:- भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों के बारे में ।

[illegible] न्यासों/ नगर पालिकाओं द्वारा राजस्थान नगर प्रायः यह देखा गया है कि [illegible] नियम 2000 में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) [illegible] प्रस्तुत कर दिया जाता है । बगैर प्रकरणों को सम्बन्धित समिति की बैठक में [illegible] भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आपत्तियाँ यथा उक्त नियमों के बिन्दु सं. 4 पर [illegible] निकायों द्वारा एक नोटिस आमन्त्रित करने का प्रावधान है परन्तु कुछ स्थानीय [illegible] पूर्ति कर ली जाती है जारी कर उसे मौके पर व नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर [illegible] विज्ञप्ति देकर आमंत्रित की जबकि ये आपत्तियाँ दो दैनिक समाचार पत्रों में [illegible] जानी है ।

उक्त नियमों में प्रपत्र व की पूर्ति कर स्थानीय निकाय को उनकी विशिष्ट अनुशंसाओं के साथ नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाने का प्रावधान है । परन्तु ऐसा न कर या तो समस्त प्रकरणों को एक पत्र द्वारा [illegible] समिति में रखवाया जाता है जो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नहीं है । [illegible] व [illegible] नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को [illegible] करें ।

इसी प्रकार 500 वर्गगज से अधिक के प्रकरणों को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में रखा जाना होता है उन्हें जिला स्तरीय समिति में नहीं रखकर सीधे ही सदस्य सचिव , राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति (मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर) को भिजवाया जावे।

वाणिज्यिक उद्देश्यों के भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों में [illegible] 2000 के प्रावधान अनुसार सड़क की चौड़ाई 40 फीट रखा जाना व [illegible]

~~(27)~~
(202)

उपयोग परिवर्तन योग्य प्रकरणों में पार्किंग सुविधा छुड़वाया जाना आवश्यक है ।

स्थानीय निकायों द्वारा भविष्य में राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2000 में निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरणों को समितियों के समक्ष प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जावे तथा मॉडल भवन विनियम 2000 में दिये प्रावधानानुसार पार्किंग, सड़क की चौड़ाई तथा बिल्डिंग पैरामीटर्स का पूरा ध्यान रखा जावे ।

शासन सचिव

प्रतिलिपि: निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त नगर परिषदों/ पालिकाओं को आप अपने स्तर पर भिजवाकर उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।

शासन सचिव